राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–प09(200)राज–6/2007/15 जयपुर, दिनांकः– 02-05-2011

समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर, ।
समस्त उप खण्ड अधिकारी, राजस्थान।

परिपत्र

न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण के संबंध में राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पत्र क्रमांकःप016(1)राम/निरी/99/4562–4656 दिनांक 13–8–99 एवं विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प09(200) राज–6/07 दिनांक 18–1–08 व 26–7–10 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है। माननीय दिलीप सिंह जी माननीय न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा इस संबंध में दिनांक 18–8–11 को बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्णय लिया गया है कि समस्त राजस्व न्यायालयों में वर्ष 2011–12 में लोक अदालतें लगायी जावें। यह लोक अदालत माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश की पालना में आयोजित किया जाना है।

लोक अदालत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजित होने वाली आगामी मेगा लोक अदालत की तिथियां विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार नियत की हुई है:–

दिनांक 12–9–11 से 17–9–11 तक
दिनांक 21–11–11से 26–11–11 तक
दिनांक 16–1–12 से 21–1–12 तक
दिनांक 12–3–12 से 17–3–12 तक

लोक अदालत में लम्बित मामलों में पक्षकारों द्वारा समझौता करने के लिए लोक अदालत आयोजित होने की पूर्व सूचना संबंधित ग्रामों में दी जावें व इस हेतु रात्रि चौपाल आयोजित की जावे, उसमें आम सहमति से मामले को सुलझाने के प्रयास हेतु ध्यान आकर्षित किया जावें। पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उप खण्ड अधिकारी द्वारा मुख्य कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु जारी स्कीम्स् की जानकारी आम लोगों तक पहुचाई जावे।

गरीब जनता व किसान वर्ग को लोक अदालत के माध्यम से राजस्व प्रकरणों का अधिकाधिक निस्तारण कर राहत प्रदान की जावें। ताकि उनका धन व श्रम बचाया जा सकें। इस संबंध में निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित तिथियों को लोक अदालतें प्रत्येक तहसील की गिरदावर सर्कल पर आयोजित की जावे जिसमें निम्न राजस्व प्रकरणो का निस्तारण किया जावे :–

1. नामान्तरकरण संबंधी मामले
2. भूमि विभाजन संबंधी मामले
3. भू–प्रबंध से संबंधित इन्द्राजात दुरूस्ती के मामले
4. धारा–136 भू–राजस्व से संबंधित प्रकरण
5. धारा 183 (बी) काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण संबंधी मामले
6. सीमा व रास्ते संबंधी मामले
7. एक ही कुटम्ब व सजरे के व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा संबंधी प्रकरण
8. गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार के प्रकरण

URGENT

जमावंदी में दर्ज गैर खातेदारों की संख्या के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे। प्रायः यह देखा गया है कि जो कृषक गैर खातेदार प्रार्थना पत्र देते है उनके ही प्रकरण निस्तारित होते है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि जमाबंदी में दर्ज गैर खातेदारों के प्रकरण का भी निस्तारण किया जावे। इस हेतु पटवारीगणों के माध्यम से गैर खातेदारों के प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जावे।

आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों का प्रगति प्रतिवेदन राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मण्डल एवं इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित किया जावे ताकि इकज़ाई प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाया जा सके। लोक अदालत आयोजन अभियान की सफलता जिला कलेक्टर के सफल मॉनीटरिंग से ही संभव है। अतः सभी जिला कलेक्टर इस अभियान को सफल बनावे ताकि इनका लाभ आम गरीब को मिल सके। माननीय न्यायाधीश, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस अभियान की सफलता से अवगत कराया जाना है। अतः इसकी प्रगति एवं सफलता से इस विभाग को अवगत कराया जावे।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः— सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप शासन सचिव